(130)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग 3546 - पीबीआर - 16

श्री ... द्वारा आज दि. 7-10-16 को प्रस्तुत

223 / 7-10-16

[illegible]राम पिता गणपत जाति कुलमी ....निगरानीकर्ता

ग्राम आहू तह. व जिला धार

बनाम

1- धापूबाई पति जगन्नाथ जाति कुलमी

2- देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति कुलमी

3- ठाकुरलाल पिता जगन्नाथ जाति कुलमी

क्र.1 से 3 धंधा खेती निवासी ग्राम आहू तह. व जिला धार

4- रामेश्वर पिता गणपत जाति कुलमी

धंधा खेती निवासी ग्राम आहु तह. व जिला धार

5-- प्रेमचंद्र पिता गणपत जाति कुलमी

6-- सावित्रीबाई पिता दुर्गाशंकर जाति कुलमी

7-- रोहित पिता दुर्गाशंकर जाति कुलमी

क्र. 5 से 7 का धंधा खेती निवासी ग्राम आहु तह0 व जिला धार

8-- पार्वतीबाई पिता दुर्गाशंकर जाति कुलमी

धंधा खेती निवासी भक्तामर कालानी धार

9-- सुमित्राबाई पिता दुर्गाशंकर जाति कुलमी

धंधा खेती निवासी ग्राम कुसावदा तह0 बदनावर जिला धार

.................................विपक्षीगण।

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता तर्फे अत्यन्त विनम्रता से निवेदन है कि ग्राम आहु प.ह.नं. 01 तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 2/1 रकबा 1.215 हैक्टर व सर्वे नंबर 290/5 रकबा 2.402 हैक्टर होकर उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 01.11.1999 को स्वयं धापूबाई देवीलाल व ठाकुरलाल ने अन्य के साथ एक कार्यवाही की याचना संबंधित विधिक हक सहित कार्य के लिए अधिकृत व्यक्ति के यहां कार्यवाही पेश होकर जिसमें सहमति दिनांक 06.11.

1999 का उल्लेख होकर जिस पर स्वयं अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार के यहां अपीलकर्ता धापूबाई, देवीलाल व ठाकुरलाल ने आज्ञा के संबंध में याचना जो उनके समक्ष प्रस्तुत हुई है। प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत आहु सर्कल तिरला के समक्ष पेश हुई उसमें उनके कहे अनुसार याचना स्वीकार होकर आज्ञा हुई वह आज्ञा दिनांक 16.11.1999 के संबंध में होकर सहमति सूचक आज्ञा है उस मुजब पालन होकर राजस्व प्रपत्रो में नाम दर्ज हुआ। पावती बनी प्रतिवर्ष संबंधित मूल न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपीलकर्ता भी उसकी जानकारी लेते रहे होती रही। कभी कोई आपत्ति उज्र इस लंबी अवधि में जो 25 साल से अधिक की है कोई आपत्ति उज्र नही रहा न होने का प्रश्न है। लेकिन यकायक लालच के वशीभूत छलयुक्त एक अपील विपक्षी 1 लगायत 3 अनुविभागीय अधिकारी के यहां पेश की जो राजस्व अपील 110/2015–16 पर कायम होकर जिसमें क्षमा बाबद अर्जी दी है। क्षमा बाबद अर्जी में अपीलाण्ट ने अर्जी में कही से कही तक नही लिखा है। न उसका जिक्र है न नाम है। यह भी उसे बताना होगा दिनांक 01.11.2015 की कहानी काल्पनिक है आधारहिन है जिसके द्वारा किया कब किया उसका नाम नही उसका पद नही जबकि यह सब खुलासा [illegible] होना नही किया होने से अर्जी विचार योग्य नही है। दिनांक 07.11.2015 के पूर्व ही

R 3546-PBR/16 धारा
शोभाराम / धाकड़

13.11.2017

आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से श्री डी० डी० गुप्ता अभिभाषक उपस्थित। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 16.6.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.10.2016 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील भी हो चुकी है। अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है।

अध्यक्ष

W.A.